केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/समन्वय/ कंपार्टमेंट प्रैक्टिकल/2023/ 27.06.2023

परिपत्र

विषय: सप्लमेन्ट्री परीक्षा, 2023 के साथ प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश

अध्ययन योजना/ परीक्षा उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार, छात्रों की निम्नलिखित दो श्रेणियों के संबंध में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जानी अपेक्षित हैं:

(ए) वे छात्र जिन्हें किसी विषय में रिपीट इन प्रैक्टिकल (आरपी)/ प्रैक्टिकल में पुनरावृत्ति के कारण कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है।

(बी) वे छात्र जिन्हें किसी विषय/विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों (आरबी) में पुनरावृत्ति के कारण कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है।

स्कूल और छात्र कृपया इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित नोट करें:

1. जिन्हें सप्लमेन्ट्री परीक्षाओं के दौरान प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शामिल होना अपेक्षित है

(ए) बारहवीं कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए

बारहवीं कक्षा में, एक छात्र को किसी विषय में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है यदि वह थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर और अलग-अलग 33% अंक प्राप्त करता/करती है।

(i) यदि कोई छात्र मुख्य परीक्षा में प्रैक्टिकल में 33% अंक प्राप्त करने में असमर्थ रहा था, तो उसे कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है और "प्रैक्टिकल में रिपीट" (आरपी)/ प्रैक्टिकल में पुनरावृत्ति के रूप में दर्शाया गया है। ऐसे विद्यार्थियों को सप्लमेन्ट्री परीक्षाओं में केवल प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल होना होगा। ऐसे छात्रों को थ्योरी परीक्षा में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पिछले थ्योरी अंकों को आगे बढ़ाया जाएगा और हिसाब में लिया जाएगा।

(ii) जिन छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों (आरबी) में पुनरावृत्ति के कारण कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है, उन्हें सप्लमेन्ट्री परीक्षाओं में थ्योरी परीक्षा के साथ-साथ प्रैक्टिकल परीक्षा में भी उपस्थित होना होगा।

(बी) दसवीं कक्षा के अभ्यर्थियों के लिए

दसवीं कक्षा में, एक छात्र को थ्योरी और आंतरिक आकलन दोनों को मिलाकर 33% अंक या अधिक प्राप्त करने पर किसी विषय में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। यदि किसी छात्र को कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है और वह आंतरिक आकलन में भी अनुपस्थित है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को सप्लमेन्ट्री परीक्षा में दिए गए थ्योरी अंकों के आधार पर आंतरिक आकलन में यथानुपात अंक दिए जाएंगे। सप्लमेन्ट्री परीक्षा के दौरान ऐसे छात्रों के लिए कोई आंतरिक आकलन आयोजित नहीं किया जाएगा क्योंकि आंतरिक आकलन वर्षभर चलने वाला कार्य है।

2. प्रैक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन की तिथियां

प्रैक्टिकल परीक्षाएं 06 जुलाई 2023 (गुरुवार) से 20 जुलाई 2023 (गुरुवार) तक आयोजित की जाएंगी।

3. प्रैक्टिकल परीक्षाओं का स्थान

(ए) नियमित अभ्यर्थियों के लिए, प्रैक्टिकल परीक्षाएं उनके स्कूलों में आयोजित की जाएंगी।

(बी) प्राइवेट अभ्यर्थियों के लिए, सप्लमेन्ट्री परीक्षाओं में थ्योरी परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। यदि किसी परीक्षा केंद्र/स्कूल में, किसी विषय विशेष में प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से ऐसे विषय में प्रैक्टिकल परीक्षा नजदीकी परीक्षा केंद्र/स्कूल में आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया जा सकता है।

4. बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षक की नियुक्ति

क्षेत्रीय कार्यालय बारहवीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए बाह्य परीक्षक नियुक्त करेंगे। प्रैक्टिकल केवल सीबीएसई द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक द्वारा आयोजित किया जाएगा। आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति स्कूल/केंद्र अधीक्षक द्वारा अपने स्कूल के शिक्षकों में से की जाएगी।

5. प्रैक्टिकल के लिए उत्तर पुस्तिकाएँ

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आपूर्ति की गई प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग प्रैक्टिकल परीक्षा के संचालन के लिए किया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परीक्षक प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं में सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक और सही ढंग से पूरी करें।

6. पोर्टल पर प्रैक्टिकल के अंक और फोटोग्राफ अपलोड करना

स्कूल/परीक्षा केंद्र जहां सप्लमेन्ट्री परीक्षा के दौरान प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, वे अभ्यर्थियों को दिए गए अंक और फोटो उसी दिन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। एक बार अपलोड किए गए अंक अंतिम होंगे और उनमें किसी भी बदलाव का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. छात्रों/परीक्षार्थियों द्वारा कार्रवाई

(ए) जिन छात्रों/ परीक्षार्थियों को प्रैक्टिकल में शामिल होना है, उन्हें 06 जुलाई 2023 से पहले अपने परिणाम/मार्कशीट और प्रवेश पत्र की एक प्रति के साथ अपने स्कूलों/परीक्षा केंद्रों से अवश्य संपर्क करना होगा।

(बी) छात्रों/ परीक्षार्थियों को स्कूल/परीक्षा केंद्र द्वारा दी गई प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख और समय नोट करना होगा और निर्धारित स्थान और समय पर प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए रिपोर्ट करना होगा।

8. स्कूल/ परीक्षा केंद्रों द्वारा कार्रवाई

(ए) स्कूल के प्रधानाचार्य/केंद्र अधीक्षक उन सभी छात्रों की विषयवार सूची तैयार करेंगे जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं।

(बी) स्कूल प्रधानाचार्य/केंद्र अधीक्षक, जहां भी आवश्यक हो, बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से अग्रिम रूप से संपर्क करेंगे।

(सी) किसी भी परिस्थिति में, विद्यालय के प्रधानाचार्य/केन्द्र अधीक्षक स्वयं बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे।

(डी) प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथि एवं समय का निर्धारण बाह्य परीक्षकों की उपलब्धता, परीक्षार्थियों की सुविधा एवं सप्लमेन्ट्री परीक्षाओं के तिथि पत्र को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

(ई) छात्रों/परीक्षार्थियों को परीक्षाओं के आयोजन की तारीख और समय के बारे में पहले से ही सूचित किया जाएगा।

(एफ) क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन की योजना के बारे में सूचित किया जाएगा।

9. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्रवाई

(ए) क्षेत्रीय कार्यालय उन सभी छात्रों की सूची तैयार करेंगे जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं केंद्र-वार और विषय-वार आयोजित की जानी हैं।

(बी) क्षेत्रीय कार्यालय जहां भी आवश्यक हो, अग्रिम रूप से बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे।

(सी) क्षेत्रीय कार्यालय समय पर प्रैक्टिकल परीक्षाओं को पूरा करना और प्रैक्टिकल के अंकों को पोर्टल पर अपलोड करना और क्षेत्रीय कार्यालय में प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे।

हस्ता./-
(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : वेब एडमिन को - सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।